देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

वॉल्यूम न.– 2021/kdgl/09 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | रविवार, 19 दिसम्बर 2021

सीआईआई ने लाइटहाउस इंडिया फंड III लिमिटेड(फंडIII)और लाइटहाउस इंडियाIII एम्पलोई ट्रस्ट द्वारा बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी!!!

विशेष रिपोर्ट-2

बिकाजी मे यूएसए की कंपनी का निवेश बढ़ा!!!
क्या भविष्य मे बिकाजी शुद्ध भारतीय कंपनी रह पाएगी?

क्या आने वाले IPO मे अपनी साख बढ़ाने के लिए तो नहीं किया गया अधिग्रहण का खेल?

क्या इससे बिकाजी के आने वाले आईपीओ पर फर्क पड़ेगा?

क्या हुआ था पेटीएम के IPO का हश्र?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

सीआईआई ने लाइटहाउस इंडिया फंड III लिमिटेड(फंडII)और लाइटहाउस इंडिया IIIएम्पलोयी ट्रस्ट द्वारा बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी!!!

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

सीसीआई ने लाइटहाउस इंडिया फंड III लिमिटेड (फंड III) और लाइटहाउस इंडिया III एम्प्लॉयी ट्रस्ट द्वारा बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी

प्रविष्टि तिथि: 10 AUG 2021 6:24PM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कल प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 धारा 31 (1) के तहत लाइटहाउस इंडिया फंड III लिमिटेड (फंड III) और लाइटहाउस इंडिया III एम्प्लॉयी ट्रस्ट (लाइटहाउस एम्प्लॉयी ट्रस्ट) (सामूहिक रूप से अधिग्रहणकर्ता के रूप में संदर्भित) द्वारा बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड (लक्षित कंपनी) के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।

प्रस्तावित विलय में फंड III और लाइटहाउस एम्प्लॉयी ट्रस्ट द्वारा लक्षित कंपनी में अतिरिक्त 2.727 प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है। वर्तमान में लाइटहाउस फंड्स की बीकाजी में उसके एक फंड के जरिये 7.472 प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी है।

लाइटहाउस फंड्स एक अमेरिकी कंपनी है और वह भारत में उपभोक्ता कंपनियों में निवेश करने वाले निजी इक्विटी फंडों को नियंत्रित और प्रायोजित करती है। अब तक इसने तीन निजी इक्विटी फंड जुटाए हैं जो मॉरीशस में स्थित हैं। फंड III इन तीन फंडों में से एक है और लाइटहाउस एम्प्लॉयी ट्रस्ट भारत में स्थापित एक ट्रस्ट है।

लक्षित कंपनी भुजिया, नमकीन, पापड़, चिप्स, मिठाई और कुकीज जैसे स्नैक्स का उत्पादन एवं बिक्री करती है।

सीसीआई के विस्तृत आदेश का पालन किया जाएगा।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित खबर के अनुसार सीआईआई ने लाइटहाउस इंडिया फंड III लिमिटेड(फंडIII)और लाइटहाउस इंडिया III एम्पलोयी ट्रस्ट द्वारा बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी हैइस अधिग्रहण के बाद बिकाजी मे लाइटहाउस फंडस का निवेश 7.472% से बढ़ कर 9.995% हो जाएगा|लाइटहाउस फंडस एक अमेरिकी कंपनी है और यह भारत मे उपभोक्ता कंपनियों मे निवेश करने वाले निजी इक्विटी फंडो को नियंत्रित और प्रायोजित करती है|अब तक इसने बिकाजी के लिए तीन निजी इक्विटी फंड जुटाये है जो मॉरीशस मे स्थित है|फंड III इन तीनों फंडो मे से एक है और लाइटहाउस एम्प्लोयी ट्रस्ट भारत मे स्थापित एक ट्रस्ट है|इस अधिग्रहण के बाद बिकाजी के बोर्ड मे एक ऑब्जर्वर रखने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा,कंपनी के बोर्ड मे लाइटहाउस फंडस की तरफ से एक डायरेक्टर नियुक्त किया जा चुका है|गौरतलब है कि लाइटहाउस फंडस द्वारा 2014 से बिकाजी मे निवेश किया जा रहा है|कंपनी की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी मे Avendus और Axis को भी 1% शेयर 2019 मे दिये जा चुके है|इस अधिग्रहण के बाद अब बिकाजी जैसी पारिवारिक कंपनी मे विदेशी कंपनी का दखल बढ़ेगा और भविष्य मे इसके पूर्ण रूप से अधिग्रहित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता|

Directors/Signatory Details

DIN/PAN	Name	Begin date	End date	Surrendered DIN
00161853	SIRAJ AZMAT CHAUDHRY	24/08/2021	-	
00192890	DEEPAK AGARWAL	30/09/2002	-	
00192929	SHIV RATAN AGARWAL	01/05/2011	-	
00619052	SHWETA AGARWAL	16/11/2006	-	
01023581	SANGEETA DEVI JAISANSERIYA	16/11/2006	-	
01084811	KEDAR CHAND AGARWAL	16/11/2006	-	
02122147	SACHIN KUMAR BHARTIYA	11/04/2014	-	
02276712	ANSHUMAN GOENKA	15/11/2021	-	
ALFPN4756J	DIVYA NAVANI	01/11/2011	-	
AEAPJ1574L	RISHABH NARENDRA JAIN	16/11/2021	-	

लाइटहाउस के प्रतिनिधि के रूप मे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे शामिल

बिकाजी का भी आ रहा आईपीओ

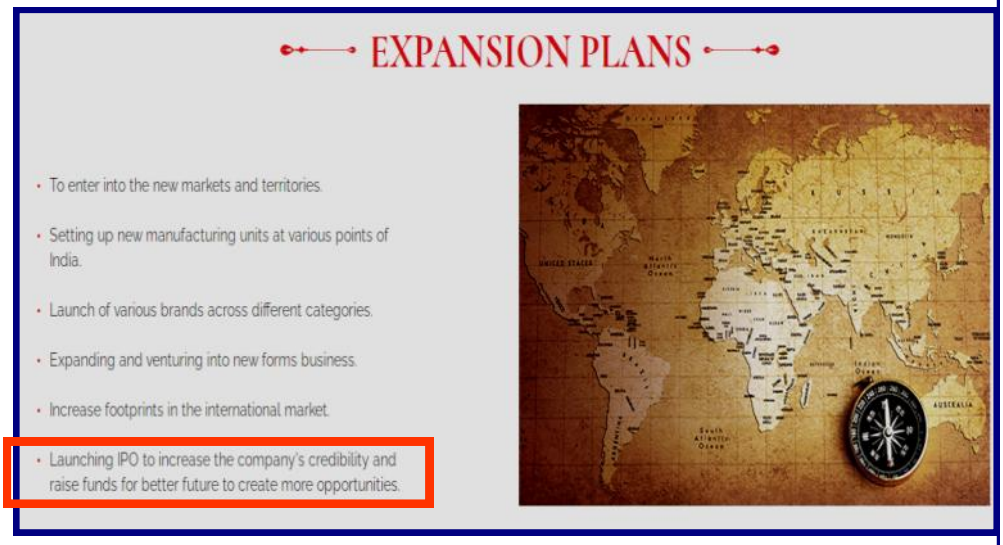

बिकाजी द्वारा शीघ्र ही आईपीओ लाने की तैयारियां की जा रही है|आईपीओ के जरिये कंपनी द्वारा निवेशकों से 1000 करोड़ से अधिक जुटाने की आजमाईश की जा रही है|कंपनी का मानना है कि ब्याज मुक्त पूंजी प्राप्त करने का आईपीओ से बेहतर और कोई रास्ता नहीं है| लेकिन शायद कंपनी भूल रही है कि आईपीओ आने के बाद कंपनी पर नियंत्रण रखना कठिन काम हो जाता है|और इससे कंपनी के मेनेजमेंट मे बाहरी दखल भी बढ़ जाता है|वैसे ही लाइटहाउस फंडस द्वारा 9.995% का अधिग्रहण किया जा चुका है|

क्या आने वाले IPO मे अपनी साख बढ़ाने के लिए तो नहीं किया गया अधिग्रहण का खेल?

सूत्रो की माने तो बिकाजी द्वारा आने वाले IPO मे अपनी साख बढ़ाने के लिए अधिग्रहण का खेल खेला जा रहा है|इतना ही नहीं अपनी साख बढ़ाने के लिए ही कंपनी द्वारा अमिताभ बच्चन को अपने प्रोडक्ट्स का ब्रांड अम्बेसेडर बनाया गया है|गौरतलब है कि बिकाजी से भी बड़े बड़े ब्रांडो के स्नेक्स मार्केट मे पैर जमा थे,उनसे ऊपर आने के लिए कंपनी द्वारा अमिताभ बच्चन को अपने प्रोडक्ट्स का ब्रांड अम्बेसेडर बनाकर यह बड़ा दांव खेला गया|

पेटीएम के आईपीओ की कहानी! क्या दूसरी स्टार्टअप कंपनियों पर भी लग जाएगा पेटीएम आईपीओ का ग्रहण?

शेयर बाजार के इतिहास में सबसे बड़ा IPO लाने वाली कंपनी Paytm के शेयर ने खराब लिस्टिंग के मामले में भी टॉप किया है|देश का सबसे बड़ा आईपीओ होने के बावजूद Paytm का शेयर बीते 10 साल में सबसे खराब लिस्टिंग वाले शेयर के तौर पर भी जाना जाएगा| ऐसे में अब बाजार की समझ रखने वाले विशेषज्ञों के बीच स्टार्टअप कंपनियों के आईपीओ (Start-Up's IPO) को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है| उनका कहना है कि इसका सीधा असर बहुत जल्द आने वाले कई स्टार्टअप के आईपीओ पर दिख सकता है|

बेहतरीन साल में सबसे खराब लिस्टिंग

जानकारों का कहना है कि आईपीओ के लिहाज से 2021 सबसे अच्छे सालों में से एक है|2021 के शुरुआती 9 महीनों में कंपनियों ने IPO के माध्यम से 9.7 अरब डॉलर जुटाए हैं| भारतीय मुद्रा में ये रकम करीब 720 अरब रुपये हो जाती है| ये पिछले 2 दशक में इसी अवधि के दौरान आईपीओ से जुटाई गई ये सबसे अधिक राशि है|हालांकि लिस्टिंग के दिन ही Paytm का शेयर 27 पर्सेंट से ज्यादा देखा गया| कंपनी के IPO का प्राइस बैंड अधिकतम 2,150 रुपये था जबकि लिस्टिंग वाले दिन ये 1,560 रुपये पर बंद हुआ|

Paytm से लेंगे सीख?

Paytm के IPO के लिए कंपनी का वैल्यूएशन 18.7 अरब डॉलर यानि करीब 1390 अरब रुपये करने को लेकर तो विशेषज्ञों ने पहले ही चिंता जताई थी|उनका कहना था कि बिना किसी स्पष्ट बिजनेस मॉडल वाली और घाटे में चल रही कंपनी का इतना वैल्यूएशन मौजूदा मार्केट में खराब प्रदर्शन करेगा|

क्या होता है IPO?

देश में हज़ारों प्राइवेट कंपनियां हैं|अब इन कंपनियों को या तो कोई एक सुपरबॉस चला रहा होता है या कई बार कुछ अलग-अलग फर्म्स यानी छोटी कंपनियां या शेयर होल्डर्स मिलकर एक बड़ी कंपनी चलाते हैं|ऐसे में जब किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो ख़ुद को शेयर बाज़ार में लिस्ट करवा देती है| इसी लिस्टिंग के प्रॉसेस का एक ज़रूरी और फाइनल स्टेप है IPO, फलां कंपनी ने अपना IPO जारी कर दिया, इसका मतलब है कि अब उस कंपनी ने अपने शेयर्स पहली बार आम लोगों और बड़े इन्वेस्टर्स को अलॉट कर दिए हैं| माने अब उस कंपनी का मालिक कोई अकेला सुपरबॉस नहीं है, बल्कि उसके छोटे-बड़े सभी शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी उस कंपनी में है|

को-फ़ाउंडर वाला विवाद क्या है?

पेटीएम के एक्स. डायरेक्टर अशोक कुमार सक्सेना ने कुछ दिन पहले ही SEBI से इस IPO लॉन्च को रोक देने को कहा था|आरोप लगाया था कि वोपेटीएम के को-फाउंडर हैं,और करीब दो दशक पहले यानी साल 2001 में उन्होंने पेटीएम में 27,500 डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था|लेकिन उन्हें इसके बदले न तो शेयर्स में कोई हिस्सेदारी मिली और न प्रॉफिट में|

रॉयटर्स के मुताबिक़ इस केस के लीगल डाक्यूमेंट्स में पेटीएम का कहना है कि अशोक का दावा और दिल्ली पुलिस को दी गई उनकी शिकायत में पेटीएम पर जो धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं वो सिर्फ़ कंपनी को हैरेस और परेशान करने की कोशिश भर हैं| हालांकि इस पुलिस केस का ज़िक्र पेटीएम के जुलाई के IPO प्रॉस्पेक्ट्स में बाकायदा शामिल है|

इसपर अशोक सक्सेना का कहना ये था कि उनका इरादा उत्पीड़न का नहीं है और पेटीएम जैसी हाई प्रोफाइल कंपनी को उनके जैसा आम आदमी परेशान कर भी कैसे सकता है|

इधर सक्सेना ने IPO को रोकने के लिए सेबी को ये तर्क दिया था कि अगर उनका दावा सही साबित होता है,तो इन्वेस्टर्स को अपना पैसा गंवाना पड़ सकता है. शेयरहोल्डर एडवाइजरी फर्म इनगवर्न के श्रीराम सुब्रमण्यम ने भी कहा था कि इस टकराव से सेबी की इन्क्वारी वगैरह बढ़ सकती है, IPO को लेकर सेबी पेटीएम से ये अश्योरेंस मांग सकती है कि लिस्टिंग के बाद आम शेयरहोल्डर्स पर इसका असर नहीं पड़ेगा|

सेबी का फैसला जो भी रहा हो, IPO तो आ चुका है| हां, कानूनी पचड़ा आगे भी पेटीएम के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकता है| यहां ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि पेटीएम के इंटरनेशनल इन्वेस्टर वो चाहें चीन का अलीबाबा हो या जापान का सॉफ्ट बैंक, पेटीएम के लीगल स्टेटस के बारे में चिंतित तो ज़रूर होंगें|

अब सवाल ये है कि क्या पेटीएम का IPO एक फ्रॉड है?

दरअसल ये सवाल उठाना हमारा काम नहीं है, तब तो बिल्कुल नहीं जब सेबी ने इसे मंजूरी दे दी है| IPO की लिस्टिंग के लिए मंजूरी मिलना आसान नहीं होता|कभी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो, उस स्कूल या कॉलेज का एक प्रॉस्पेक्ट्स मिलता है|इस प्रॉस्पेक्ट्स में उस संस्थान की सारी डिटेल होती है फ़ीस से लेकर बिल्डिंग तक, बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं की भी पूरी जानकारी होती है|

इसी तरह जब कोई कंपनी अपने IPO के लिए अप्लाई करती है तो उसे एसईसी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन को अपना एक प्रॉस्पेक्ट्स देना होता है|नाम होता है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स| इसमें IPO के शेयर्स से लेकर कंपनी के बिज़नेस तक की सारी इनफार्मेशन होती है|बाकायदा पूरे डिटेल के साथ, इसे कंपनी का फाइनेंस से जुड़ा हुआ पूरा कच्चा-चिट्ठा कह सकते हैं| इसी प्रॉस्पेक्ट्स के जरिये कंपनी सरकार की सारी शर्तें और नियम मंज़ूर करती है और अब चूंकि पेटीएम के IPO को मंजूरी मिल ही गई है तो जाहिर है सेबी ने सारी चीज़ें चेक कर ली होंगीं| ऐसे में इस IPO को फ्रॉड तो कहा ही नहीं जा

सकता|अब दूसरी बात आती है को-फाउंडर अशोक सक्सेना के आरोप की, सक्सेना का कहना है कि इस IPO में इन्वेस्टर्स के पैसे डूब जायेंगे, अगर मेरी 'बात' सच निकली तो|

सक्सेना की इन्वेस्टर्स के पैसे डूबने वाली बात का ये मतलब है कि उनके आरोप सही साबित होने के बाद पेटीएम दिक्कतों में आ जाएगा|ये बात मानी भी जा सकती है| क्योंकि आजकल कंपनियों के एक ऐड पर बवाल कट जाता है, लोग बॉयकट के नारे लगाने लगते हैं, कंपनियों के शेयर प्राइस तक गिर जाते हैं, ऐसे में पेटीएम अगर आगे भी कानूनी पचड़े में पड़ता है तो दिक्कतें आना लाजिम है|

कब जारी होगा बिकाजी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस?

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस एक प्रारंभिक सूचनात्मक दस्तावेज है जो प्रतिभूतियों के संभावित मुद्दे के बारे में कुछ बुनियादी खुलासे प्रदान करता है| कंपनियों को सामान्य रिलीज के लिए एक अंतिम प्रॉस्पेक्टस तैयार करने से पहले इस दस्तावेज को समीक्षा के लिए प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) को प्रस्तुत करना होगा| इस तरह के दस्तावेज़ प्रतिभूतियों की पेशकश को विकसित करने के इरादे का संकेत देते हैं, लेकिन प्रतिभूतियों के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि कंपनी को प्रतिभूतियों को जारी करना शुरू करने से पहले कई और चरणों से गुजरना होगा| "रेड हेरिंग" एक कानूनी प्रकटीकरण का संदर्भ है, जो लाल रंग में छपा है, जो सामने के कवर पर दिखाई देना चाहिए, पाठकों को सूचित करता है कि एसईसी ने अभी तक दस्तावेज़ की समीक्षा और अनुमोदन नहीं किया है|सार्वजनिक रिलीज़ के लिए तैयार होने से पहले एक कंपनी कई ड्राफ्ट के माध्यम से लाल हेरिंग प्रॉस्पेक्टस ले सकती है| एसईसी झूठे या गलत दावों के किसी भी संकेत के लिए दस्तावेज़ की समीक्षा करेगा, साथ ही साथ कानून के उल्लंघन, जैसे प्रॉस्पेक्टस पर सभी आवश्यक जानकारी का खुलासा करने में विफल रहेगा| इन शर्तों के पूरा होने के बाद, कंपनी एक संभावित प्रॉस्पेक्टस, इस सभी सूचनाओं के साथ एक छोटी रूपरेखा, भावी निवेशकों को जारी करने के लिए प्रिंट कर सकती है|

IPO के नियम सख्त करने की तैयारी, सेबी ने जनता से मांगी राय

आने वाले दिनों में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) से जुड़े नियम सख्त हो सकते हैं। दरअसल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव दिया है। बाजार नियामक द्वारा इस प्रस्ताव पर 30 नवंबर तक जनता की राय मांगी गयी थी|

क्या है प्रस्ताव में: एंकर निवेशकों के लिए लंबे समय तक लॉक-इन करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये लॉक-इन इससे लिस्टिंग के बाद त्वरित निकासी को रोकने में मदद मिलेगी। प्रस्ताव के मुताबिक आवंटित शेयरों की संख्या में से कम से कम 50 फीसदी शेयर लॉक-इन होना चाहिए। वहीं, 30 दिनों से ऊपर 90 दिनों या उससे अधिक का लॉक-इन होना चाहिए।

इसके अलावा सेबी ने अधिग्रहण और अनिर्दिष्ट रणनीतिक निवेश के लिए अधिकतम 35% आय को सीमित करने का प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब अलग-अलग सेक्टर की सक्रिय कंपनियां आईपीओ के जरिए पैसे जुटा रही हैं। जानकारों की मानें तो प्रस्तावित नियम में बदलाव के बाद स्टार्टअप्स और नए जमाने की टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए फंड जुटाना आसान नहीं रह जाएगा। आपको बता दें कि पेटीएम ने अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाया है।

शेयर में कृत्रिम मांग के जरिये छोटे निवेशकों को धोखा देने के मामले में सेबी ने उठाए सख्त कदम|

शेयर में कृत्रिम मांग के जरिये छोटे निवेशकों को धोखा देने के मामले में सेबी ने छापेमारी की कार्रवाई की है| आरोप हैं कि इस तरह धोखाधड़ी के जरिए इन ऑपरेटरों ने एक-एक सौदे में लाखों रुपए बनाए हैं|

शेयर बाजार के लिये साल 2021 रिकॉर्ड तेजी का साल रहा है, इस दौरान प्रमुख इंडेक्स ने वो स्तर देखे जो आज से पहले कभी दर्ज नहीं किये गये| बाजार की इस रिकॉर्ड तेजी में निवेशकों ने जमकर कमाई की, हालांकि इस ऊंचे रिटर्न की आस में कई छोटे निवेशको ने बाजार में हेराफेरी करने वाले शेयर ऑपरेटरों के हाथों अच्छा खासा नुकसान भी दर्ज किया| सेबी ने ऐसे ही कुछ स्टॉक मार्केट के ऑपरेटरों पर शिंकजा कसा है| खबरों के मुताबिक मार्केट रेग्युलेटर ने गुजरात के कुछ ऑपरेटर्स के खिलाफ छापेमारी भी की|

पंप एंड डंप तकनीक से निवेशकों के साथ हेराफेरी

दरअसल शेयर बाजार में मिले उंचे रिटर्न और रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए शेयर बाजार में कई ऐसे शेयर ऑपरेटर भी सक्रिय हो गये जो शेयरों में कृत्रिम मांग के जरिये कीमतों को मनमाने तरीके से नियंत्रित कर रहे थे| रणनीति के अनुसार ऐसे ऑपरेटर्स पहले शेयरों को सस्ते दामों पर खरीदते थे, जिसके बाद ट्रेडिंग टिप्स के नाम पर सोशल मीडिया, वॉट्सएप ग्रुप्स और टेलिग्राम चैनलों के जरिये इन शेयरों के लिये सकारात्मक माहौल बनाते थे| छोटे निवेशकों की भागेदारी बढ़ने के साथ स्टॉक में उछाल बढ़ने पर ये ऑपरेटर अपने सभी शेयर बेच कर बाजार से बाहर निकल जाते थे, और नुकसान छोटे निवेशकों को उठाना पड़ता था| इसी को देखते हुए सेबी ने ऐसे ऑपरेटर्स पर अपना शिकंजा कस दिया है|

सीआईआई भी व्यापारिक प्रतिष्ठानो के गड़बड़झालो के विरुद्ध एक्शन मोड मे

भारत मे व्यापारिक प्रतिष्ठानो मे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करने हेतु भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया है|इसी संस्था द्वारा लाइटहाउस फंडस द्वारा बिकाजी कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की गयी थी|हाल ही मे आयोग द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए,अमेज़न के फ्यूचर ग्रुप के साथ सौदे पर रोक लगा दी है|उस पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है|

बड़ी कार्रवाई : 200 करोड़ का जुर्माना भी

अमेजन के फ्यूचर ग्रुप के साथ सौदे पर लगाई रोक

नई दिल्ली @ पत्रिका . ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) से बड़ा झटका लगा है। सीसीआइ ने अमेजन के फ्यूचर ग्रुप के साथ सौदे पर रोक लगा दी है। उस पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

सीसीआइ ने 57 पन्नों के आदेश में कहा कि अमेजन के फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड में 49 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के सौदे के आदेश की मंजूरी फिलहाल फ्रीज रहेगी। सीसीआइ के मुताबिक अमेजन ने कुछ प्रासंगिक जानकारी छुपाकर यह मंजूरी ली थी। अमेजन ने 2019 के सौदे के वास्तविक उद्देश्य और विवरण को छिपाया व तथ्यों को दबाने की कोशिश की। सीसीआइ ने कहा कि इस सौदे की नए सिरे से जांच करना आवश्यक है। इसकी मंजूरी तक यह रोक जारी रहेगी। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने शिकायत की जांच के बाद अमरीका की दिग्गज कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई। सीसीआइ के आदेश में कहा गया कि अमेजन कंपनी ने सौदे के वास्तविक दायरे को छुपाया और अनुमोदन की मांग करते हुए झूठे तथा गलत बयान दिए।

कानूनी लड़ाई पर दूरगामी परिणाम

सीसीआइ के इस अपूर्व कदम का अमेजन की कानूनी लड़ाई पर दूरगामी परिणाम हो सकता है, जो वह अलग हो चुके पार्टनर फ्यूचर के साथ लड़ रही है। इस लड़ाई का मकसद फ्यूचर को 3.4 बिलियन डॉलर में खुदरा संपत्ति रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने से रोकना है।

Vaseline.

क्या लाइट हाउस फंडस करेगी बिकाजी के प्लांटों मे हो रही श्रम कानूनों की पालना की पैरवी?

गत रिपोर्ट मे हमारे द्वारा बिकाजी के प्लांटों मे हो रहे श्रम कानूनों के उल्लंघन का खुलासा किया गया था|हमारे द्वारा बताया गया था कि बिकाजी के प्लांटों मे कामगारों से 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लिया जाता है|वहीं श्रम कानून के तहत तय न्यूनतम पारिश्रमिक का भी भुगतान नहीं किया जाता है|पीएफ, ईएसआई, स्वास्थ्य बीमा और जरूरी सुरक्षा इंतजाम जैसी सुविधाएं तो दूर की बात है| जैसा कि अधिग्रहण से सामने आया है कि लाइटहाउस फंडस द्वारा बिकाजी का अधिग्रहण कर लिया गया है तो जाहीर है बिकाजी के प्लांटों मे उड़ रही श्रम कानूनों की धज्जियां भी उनकी चिंता का विषय होगी|देखना यह है कि क्या बिकाजी मे श्रमिकों को राहत मिलेगी या फिर उनका पहले की भांति शोषण होता रहेगा|

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या बिकाजी के आने वाले IPO की तैयारियां सही हाथो मे है?
2. क्या कंपनी द्वारा सेबी और सीआईआई को सही तथ्य उपलब्ध करवाए गए है?
3. कब होगा बिकाजी का रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जारी?
4. क्या भविष्य मे लाइटहाउस फंडस का बिकाजी कंपनी के मेनेजमेंट मे दखल बढ़ेगा?
5. कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य मे बिकाजी का पूर्ण अधिग्रहण कर लिया जाएगा?
6. क्या लाइट हाउस फंडस करेगी बिकाजी के प्लांटों मे हो रही श्रम कानूनों की पालना की पैरवी?
7. क्या आने वाले IPO मे अपनी साख बढ़ाने के लिए तो नहीं किया गया अधिग्रहण का खेल?